न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 36 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
कानाराम पुत्र अणदाराम जाति कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. बगदाराम पुत्र रड़माराम 2. रूगनाथ पुत्र रड़माराम 3. लुणाराम पुत्र रड़माराम 4. कालूराम पुत्र डुंगराराम 5. सताराम पुत्र डुंगराराम 6. भोपाराम पुत्र डुंगराराम 7. मघाराम पुत्र सांवलाराम का.मु. 7/1बाण्डाराम पुत्र मघाराम 7/2कबुदेवी पुत्री मघाराम 7/3मंजुदेवी पुत्री मघाराम 7/4पेम्पोदेवी पत्नी मघाराम 8. चैनाराम पुत्र सांवलाराम 9. मालाराम पुत्र हरजीराम का.मु. 9/1दुर्गाराम पुत्र मालाराम का.मु. 9/1/1बलदेव पुत्र दुर्गाराम 9/1/2देवाराम पुत्र दुर्गाराम 9/1/3चन्दाराम पुत्र दुर्गाराम 9/1/4भरतकुमार पुत्र दुर्गाराम 9/1/5भादाराम पुत्र दुर्गाराम 9/1/6मुकेश पुत्र दुर्गाराम 9/1/7श्रवणकुमार पुत्र दुर्गाराम 9/1/8सैणीदेवी पत्नी दुर्गाराम 9/2जेमताराम पुत्र मालाराम 9/3वंशाराम पुत्र मालाराम 10. भीमाराम पुत्र हरजीराम 11. तराराम पुत्र मूलाराम 12. पन्नाराम पुत्र मूलाराम 13. बघाराम पुत्र मूलाराम 14. मोहन पुत्र मूलाराम 15. छटीदेवी पत्नी मूलाराम जाति कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

	बालोतरा 16. शाखा प्रबन्धक सहकारी भूमि विकास बैंक बालोतरा 17. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2017 बअनवान बगदाराम बनाम कानाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री एम एल खत्री रेस्पोडेंटस की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—24.12.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त पीढीयों के कब्जा काश्त की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी में खेत खसरा संख्या 523 रकबा 09.16 बीघा, 523/2 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 525 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 555 रकबा 20.02 बीघा, खसरा संख्या 816 रकबा 09.09 बीघा, खसरा संख्या 819 रकबा 08. 19 बीघा कुल रकबा 91.12 बीघा के आये हुऐ है। अपीलाधीन आराजी पर वक्त बन्दोबस्त के समय वादीगण संख्या 01 से 03 के पिता रड़मा, वादी संख्या 04 से 06 के पिता डुंगरा, वादी संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या 09 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया व प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था तथा सेटलमेंट अधिकारियों के वादीगण संख्या 01 से 03 के पिता रड़मा, वादी संख्या 04 से 06 के पिता डुंगरा, वादी संख्या 07 व 08 तथा वादी संख्या 09 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी करना था परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने सेटलमेंट व राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर उक्त खेतों का पर्चा लगान अपने अकेले के

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

नाम से जारी करवा दिया, जबकि उक्त सेटलमेंट के समय वादग्रस्त भूमि वादीगण, उनके पूर्वजों व प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था जो आज दिन तक बदस्तुर चला आ रहा है। वादी संख्या 01 से 08 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 09 से 15 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा की भूमि पर निर्बाध रूप से काविज होकर काश्त करते आ रहे है। उपरोक्तानुसार खातेदारी घोषित करने हेतु मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण द्वारा पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबावदावा व साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना तथा वादी के गवाहान से जीरह करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाटस को सुनवाई का मौका दिये बिना अपीलाधीन आलोच्य निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई की दिनांक 10.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 01 का विधि विरूद्ध तरीके से जबाव पेश करने का अवसर बंद कर दिया गया। पत्रावली में एकपक्षीय वादी की साक्ष्य ली गई। अपीलांट को वादी की साक्ष्य से जीरह करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि उभयपक्ष की संयुक्त पुश्तैनी होने की प्रमाणित किस प्रकार की साक्ष्य से करना इसका उल्लेख भी अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया गया। वादी के द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में कुल 6 गवाह पेश किये गये जिसमें 5 गवाह खुद वादीगण है। 6 वां गवाह भी वादीगण के परिवार का है। अधीनस्थ न्यायालय में कोई स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया तथा न

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

ही किसी स्वतंत्र गवाह ने वादग्रस्त भूमि पैतृक, पुश्तैनी होने की पुष्टि की गई। वादीगण व प्रतिवादी का वक्त बंदोबस्त के समय संयुक्त परिवार नहीं था तथा न ही संयुक्त कब्जा काश्त था। वादीगण के पूर्वज व प्रतिवादी संख्या 01 वक्त बंदोबस्त से पूर्व अलग अलग निवास कर रहे थे। अपीलाधीन आराजी अपीलांटस की तत्कालीन जागीरदारान से ली गई थी जो उसकी निजी स्वअर्जित जमीन है। अपीलाधीन आरजी की बिगोड़ी, लगान भी अपीलांटस संख्या 01 ने ही अदा की गई। वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये परन्तु उक्त दस्तावेजों को दस्तावेजी साक्ष्य से एवं मौखिक साक्ष्य से विधिनुसार सावित किया जाना नितान्त आवश्यक है। दस्तावेजों पर मात्र पदर्श डालने से कोई भी दस्तावेज साबित या असाबित नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते वक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त पीढीयों के कब्जा काश्त की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी में खेत खसरा संख्या 523 रकबा 09.16 बीघा, 523/2 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 525 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 555 रकबा 20.02 बीघा, खसरा संख्या 816 रकबा 09.09 बीघा, खसरा संख्या 819 रकबा 08.19 बीघा कुल रकबा 91.12 बीघा के आये हुऐ है। अपीलाधीन आराजी पर वक्त बन्दोबस्त के समय वादीगण संख्या 01 से 03 के पिता रड़मा, वादी संख्या 04 से 06 के पिता डुंगरा, वादी संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या 09 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया व प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था तथा सेटलमेंट अधिकारियों के वादीगण संख्या 01 से 03 के पिता रड़मा, वादी संख्या 04 से 06 के पिता डुंगरा, वादी संख्या 07 व 08 तथा वादी संख्या 09 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी करना था परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 ने सेटलमेंट व राजस्व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर उक्त खेतों का पर्चा लगान अपने अकेले के नाम से जारी करवा दिया, जबकि उक्त सेटलमेंट के समय वादग्रस्त भूमि वादीगण, उनके पूर्वजों व प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था जो आज दिन तक बदस्तुर चला आ रहा है। वादी संख्या 01 से 08 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 09 से 15 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा की भूमि पर निर्बाध रूप से काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। रेस्पोडेंटस अपीलाधीन आराजी का सदभावी रिकॉर्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारों के साथ न्याय करके अंतिम डिक्री विधिवत रूप से पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अपीलांटस द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचारण के दौरान हम अपीलांट/प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री लुणकरण शर्मा का निधन कोरोना काल में हो जाने से हम अपीलांट प्रतिवादी हमारे अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर पाये, इसलिए सुनवाई दिनांक का ज्ञान नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की गई, बाद कोशिस हमारे अधिवक्ता के जुनीयर अधिवक्ता से सम्पर्क कर तारीख 13.02.2023 को सम्पूर्ण पत्रावली की प्रतिलिपी प्राप्त करने पर अपीलाधीन निर्णय की प्रथम बार जानकारी प्राप्त हुई। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश करने में

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई जानबुझकर देरी नहीं की गई तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटस के नाम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड सम्मन भिजवाये गये उसके बावजूद भी जानबुझकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपलांटगण को सुनवाई का समुचित मौका नहीं दिया गया। अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया ज़ाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त पीढीयों के कब्जा काश्त की पैतृक व पुश्तैनी भूमि मौजा चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी में खेत खसरा संख्या 523 रकबा 09.16 बीघा, 523/2 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 525 रकबा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 555 रकबा 20.02 बीघा, खसरा संख्या 816 रकबा 09.09 बीघा, खसरा संख्या 819 रकबा 08.19 बीघा कुल रकबा 91.12 बीघा के आये हुऐ है। अपीलाधीन आराजी पर वक्त बन्दोबस्त के समय वादीगण संख्या 01 से 03 के पिता रड़मा, वादी संख्या 04 से 06 के पिता डुंगरा, वादी संख्या 7 व 8 तथा वादी संख्या 09 से 15 के पूर्वज हंरजी पुत्र डाया व प्रतिवादी संख्या 01 का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त था तथा सेटलमेंट अधिकारियों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वादीगण संख्या 01 से 03 के पिता रड़मा, वादी संख्या 04 से 06 के पिता डुंगरा, वादी संख्या 07 व 08 तथा वादी संख्या 09 से 15 के पूर्वज हरजी पुत्र डाया व प्रतिवादी संख्या 01 के नाम से संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी करना था जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूल पत्रावली पर पेश दस्तावेजात का भलीभांति परीक्षण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अपीलांटगण की तरफ से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिवक्ता मुर्कर किया गया। हस्तगत प्रकरण के विचारण की अपीलांटस को संपूर्ण जानकारी थी लेकिन न्यायालय के समक्ष जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में तथा मेरी सुविचारित राय में अपीलांटगण की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांटगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 70/2017 बअनवान बगदाराम बनाम कानाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.01.2024 को यथावत रखा जाता है।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर